FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत नायब तहसीलदार मण्डावर मुकाम–मण्डावर (दौसा)

सरकार .... बनाम .... शेरसिंह

किस्म मुकदमा– भू0 राजस्व अधि0 1956 की धारा 91 प्रकरण संख्या–50 सन्–2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही भय इनिशियल्य जज **मुकदमा नम्बर–50/2022**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
20.12.2022	पत्रावली पेश हुई। पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट इस आशय से पेश की सम्वत् 2079 ग्राम पालौदा भूमि ख0न0 473 कुल रकबा 4.09 है0 राजकीय चारागाह भूमि पर गैर सायल शेरसिंह पुत्र मूलचन्द जाति रावत निवासी रसीदपुर द्वारा फसल काश्त कर (सरसों डालकर) अतिक्रमण कर लिया है। अतिक्रमी की रिपोर्ट पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर, गैर सायल को राजस्थान भू0–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। नोटिस प्राप्त होने पर भी गैर सायल न्यायालय में उपस्थित हुआ एवं ना ही गैर सायल द्वारा कोई प्रार्थना न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया जिससे गैर सायल का अतिक्रमण सिद्ध होता है। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं पाया गया कि उक्त प्रकरण नियमन योग्य नहीं है। अतः गैर सायल का अतिक्रमण सिद्ध होने से गैर सायल को उक्त अतिक्रमित भूमि से बेदखल किया जाता है तथा भू–राजस्व लगान दर 4.40 रुपये का 50 गुणा 220 रूपये पेनल्टी राशि से दण्डित किया जाता है। बेदखली, वसूली एवं फसल नीलामी हेतु आई0एल0आर0/पटवार हल्का को लिखा जावे। मांग कायमी TRA करावे। बाद तकमील पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। रा० ल० स० 4 वर्ष 22-23 की पृ० सं० 81 पर 220 रु० मांग कायम की गई। तहसील राजस्व लेखाकार नायब तहसीलदार ... (दौसा) Signature Not Verified Digitally signed by Rajesh Kumar Date: 2024.05.23 15:22:38 IST Reason: SelfAttested	